

लोक अदालत
CNR No- UPLK010059332026



न्यायालय Additional District and Sessions Judge Court No 4, Lucknow
पीठासीन अधिकारी- (Umakant Jindal), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP06234
Final Report no - 450 /2026

विजय शंकर यादव बनाम श्यामचंद्र

मु०अ०सं०- 6115/2020
अ०धारा- 135 भा० वि० अधिनियम,
थाना- ए०पी०टी०, लखनऊ।

दिनांक- 09.05.2026

निस्तारण अन्तिम आख्या

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या पर सुना गया तथा पत्रावली एवं समस्त पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अंतर्गत धारा-152 विद्युत अधिनियम प्रकरण में अभियुक्त द्वारा समस्त शमन शुल्क की धनराशि जमा हो जाने के कारण अपनी अंतिम आख्या प्रस्तुत की है। संबंधित विवेचक द्वारा प्रेषित उक्त अंतिम आख्या स्वीकार करने पर विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

तदनुसार विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या सुलह-समझौते के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(उमाकान्त जिन्दल)
विशेष न्यायाधीश, ई० सी० ऐक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4,
लखनऊ।